न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 466/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
गुमानसिंह पुत्र कल्याणसिंह राजपूत निवासी– बीठे का गांव तहसील पोकरण जिला जैसलमेर		1. श्रीमती पेम्पाकंवर पत्नी शैतानसिंह पुत्री कानसिंह जाति राजपूत निवासी– ग्राम उदट तहसील बाप, जिला फलौदी। 2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार पोकरण जिला जैसलमेर 3. नायब तहसीलदार, पोकरण जिला जैसलमेर।

राजस्व अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 07.11.2017 जो जिला कलेक्टर, जैसलमेर के द्वारा राजस्व अपील संख्या 18/2014 अनवान पेम्पाकंवर बनाम गुमानसिंह वगैराह में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. **श्री नाहरसिंह सोलंकी, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।**
2. **श्री लादूराम पूनिया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या एक की ओर से**
3. **श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो.सं.1 व 2 की ओर से।**

निर्णय

दिनांक 27 मई, 2024

अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक के द्वारा जिला कलेक्टर, जैसलमेर के समक्ष एक राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गई जिसमें ग्राम बीठे का गांव के ख0स0 221/2 रकबा 48 बीघा भूमि उनके पिता कानसिंह पुत्र गणपतसिंह के नाम खातेदारी में दर्ज रही है। रेस्पोडेन्टस के माता–पिता का निधन हो चुका है एवं वह उनकी एकमात्र जायन्दा संतान है। उक्त भूमि की फर्जी वसीयत के आधार पर नामा0 दर्ज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया तथा दिनांक 28.7.09 की वसीयत की छायाप्रति संलग्न पेश की जिस पर प्रकरण संख्या 01/2014 दर्ज करते हुए तहसीलदार पोकरण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 28.2.14 को स्वीकार करते हुए आदेश वसीयत अनुसार नामा0 करने का

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

आदेश पारित किया जिसके आधार पर नामा0 संख्या 172 दिनांक 24.4.2014 को ना0 तहसीलदार पोकरण द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में स्वीकृत कर दिया गया। उक्त दोनों आदेशों क्रमशः दिनांक 24.02.2014 एवं नामा0 संख्या 172 दिनांक 28.02.104 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आदेश दिनांक 07.11.2017 के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या एक की ओर से पेश अपील को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.02.2014 एवं नामा0 संख्या 172 दिनांक 28.02.2014 को निरस्त करते हुए तहसीलदार पोकरण को प्रकरण रिमाण्ड कर मृतक कानसिंह के जायज उत्तराधिकारी की जॉच पूर्ण कर नियमानुसार विधि सम्मत करने की कार्यवाही करने का आदेश पारित करें। जिला कलेक्टर, जैसलमेर के उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील दिनांक 20.11.2017 को पेश की है।

पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित है। दौरान सुनवाई अपीलान्ट के अधिवक्ता ने उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील पेश हुई पूर्ण रूप से मियाद बाहर पेश की गई थी, जो करीबन 158 दिन के पश्चात पेश की गई थी इसके अतिरिक्त दो अलग--अलग आदेशों के निर्णयों की अपील रेस्पोडेन्ट द्वारा पेश की गई थी। उक्त प्रथम अपील को अन्दर मियाद शुमार करने बाबत प्रस्तुत **प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये** बिना ही अपील का निस्तारण कर दिया जो कानूनन गलत व विधि विरूद्ध है। जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय को प्रथम अपील पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार ही नहीं था क्योंकि विवादित नामा0 को तहसीलदार द्वार तस्दीक किया गया था, ऐसे आदेश के विरूद्ध केवल मात्र निदेशक, भू अभिलेख यानि सम्भागीय आयुक्त को सुनवाई क्षेत्राधिकार की शक्तियां प्रदत्त की हुई है। इस आधार पर भी जिला कलेक्टर न्यायालय द्वारा पारित निरस्त करने योग्य है। मृतक खातेदार कानसिंह पुत्र गणपतसिंह ने वर्तमान अपीलान्ट गुमानसिंह को अपनी स्वअर्जित भूमि की वसीयत की थी जो कानसिंह के द्वारा अपने जीवनकाल में दिनांक 28.7.2009 को निष्पादित की थी, अपीलान्ट के साथ ही कानसिंह जी रहते थे एवं उनकी सेवा चाकरी भी अपीलान्ट करता आ रहा था। उक्त वसीयत आज भी वैध एवं प्रभाव में है जिसे किसी भी न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं नहीं दी गई और न ही वसीयतानामा के सम्बन्ध में कोई विवाद है। अगर रेस्पोडेन्ट को इसे सही नहीं मानती थी तो उसे सिविल न्याालय के समक्ष चुनौती प्रदान की जानी चाहिये थी। राजस्थान राज्य में वसीयतनामा को रजिस्टर्ड होना आवश्यक

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

नहीं माना है और राज्य में वसीयत के आधार पर प्रोबेट लिया जाना कतई आवश्यक नहीं है। राजस्व न्यायालय को वसीयत के सम्बन्ध में कोई भी निर्णय नहीं दे सकते है। अपीलान्ट के पक्ष में उसी वसीयत के आधार पर तहसीलदार पोकरण ने आदेश पारित किया और उसकी पालना में नामा0 खोला जाकर स्वीकृत किया गया था, जो उचित होने से बहाल रखे जाने योग्य थे।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा उक्त आदेशों को चुनौती देने हेतु प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपील पेश करने हेतु अनुमति भी नहीं ली गई क्योंकि वह दोनों आदेशों में किसी भी रूप से पक्षकार नहीं थी, उसके उपरान्त भी जिला कलेक्टर न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट की अपील को स्वीकार कर लिया गया जो कानूनी व वाक्याती भूल की गई है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी ओर से लिखित बहस व आपत्तियां भी पेश की परन्तु उनका कोई उल्लेख अपीलाधीन आदेश में नहीं किया गया है। नामान्तरकरण की कार्यवाही एक समरी कार्यवाही है जो किसी भी पक्ष के अधिकार तय नहीं करती है। रेस्पोडेन्ट संख्या एक का उक्त वादग्रस्त भूमि पर कोई हक–अधिकार नहीं है और ना ही उनका कोई कब्जा काश्त है। रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा अपने को कागसिंह की पुत्री होना बताया है जबकि उनके द्वारा कोई राशनकार्ड, पहचान पत्र इत्यादि कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये, मात्र भूमि हडपने हेतु तथा अपीलान्ट को तंग व परेशान करने के लिये प्रथम अपील पेश कर दी गई और उक्त प्रथम अपील को प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के एवं मियाद बाहर होने के बावजूद एवं बिना सुनवाई क्षेत्राधिकार के ही स्वीकार करते हुए तहसीलदार पोकरण द्वारा पारित आदेश व नामा0 आदेश को निरस्त कर दिया गया है जो बहाल रखे जाने योग्य नहीं हो सकता है। अतः अपील अपीलान्ट उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.11.2017 को निरस्त करते हुए तहसीलदार पोकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.02.2014 एवं नामा0 संख्या 172 दिनांक 24.04.2014 को बहाल किया जावें। इस बाबत आरआरटी 2010(2) पेज 1322 आरआरडी, 2002, पेज 280, आरआरडी, 1984 पेज 391 में भी सिद्धान्त प्रतिपादित किये गय है जो अवलोकनार्थ पेश है।

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट संख्या एक की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट की ओर से पेश प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश व नामा0 को निरस्त किये जाने का जो आदेश पारित किया गया है

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

जो विधि अनुरूप बहाल रखा जावे क्योंकि उनके पिता श्री कानसिंह की उक्त खसरान भूमि पुश्तैनी भूमि रही थी और रेस्पो0 संख्या एक उनकी एकमात्र जायन्दा पुत्री है जिस कारण से भूमि पर उसका पूर्ण हक–अधिकार है परन्तु अपीलान्ट ने मिलीभगती करते हुए अपने पक्ष में एक अनरजिस्टर्ड वसीयतनामा निष्पादित करवा लिया गया था। अपीलान्ट के पिता का देहान्त दिनांक 2.8.2013 को ग्राम नोखा उर्फ दैया में हो गया था तब भूमि का नामा0 करवाने हेतु रेस्पोडेन्ट बीठे का गांव पटवारी के पास आये तब उसने मना कर दिया, बाद में पता चला कि उक्त भूमि को तहसीलदार पोकरण के आदेश से अपीलान्अ के नाम दर्ज कर दी गई है तथा नामा0 भी कर दिया गया है तब उसके द्वारा आदेश व नामा0 की नकले पोकरण जाकर प्राप्त की तत्पश्चात प्रथम अपील पेश की गई थी।

रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि तहसीलदार पोकरण द्वारा अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को बिना विधिवत दर्ज किये व साक्ष्य रिकार्ड पर लिये बिना ही केवल मात्र दो पेशी देकर रेस्पोडेन्ट जो कानसिंह की जायन्दा पुत्री है, को बिना नोटिस दिये व सुनवाई का अवसर दिये ही आदेश पारित कर दिया गया जो निरस्त करने योग्य ही था। अपीलान्ट के द्वारा मेरे पिता की गैर खातेदारी की भूमि को हडपने की नियत रखते हुए पोकरण ले जाकर धोखे में रखकर 10 रूपये के स्टाम्प पेपर पर वसीयत लिखवा ली और उनके पिता की मृत्यु हो जाने के पश्चात राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर अपने पक्ष में उक्त फर्जी वसीयत के आधार पर नामा0 स्वीकृत करवा लिया गया। अपीलान्ट द्वारा कानसिंह के स्वयं के कोई औलाद नहीं होना बताया तथा फर्जी गवाही दिलवाई गई। तहसीलदार कार्यालय के द्वारा भी उक्त प्रार्थना पत्र को आनन फानन में मिलीभगती करते हुए निर्णित किया गया दर्शित होता है। प्रार्थना पत्र पर जॉच रिपोर्ट प्रस्तुत होने का लिख गया परन्तु पत्रावली में कोई जॉच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं रही है। इस प्रकार तहसीलदार पोकरण के द्वारा प्रकरण में विधि विरूद्ध एवं मिली भगती से कार्यवाही निष्पादित करते हुए एकपक्षीय रूप से तथा रेस्पोडेन्ट को कोई नोटिस जारी किये बिना ही उल्लेखित वसीयत के आधार पर अपीलान्ट के पक्ष में भूमि रेकर्ड में दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया गया जो किसी भी सूरत में बहाल रखे जाने योग्य था ही नहीं।

रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने अन्त में यह कथन किया कि तहसीलदार पोकरण के द्वारा जो अपीलाधीन कार्यवाही सम्पादित की गई है, वह रेस्पोडेन्ट के पिता की पैतृक सम्पति के बाबत की गई है जो निरस्त किये जाने योग्य होने से प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्त की गई है वह विधि अनुकूल उचित है। प्रथम अपीलीय न्यायालय में उनकी ओर से

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपील पेश करने पर न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुने जाने के पश्चात उक्त वसीयत को व्यवहार न्यायालय से प्रोबेट कराना नहीं पाये जाने व प्रश्नगत भूमि का नामा0 भरे जाने बाबत तहसीलदार के द्वारा विवेचन नहीं करने एवं मृतक खातेदार कानसिंह के वारिसान के सम्बन्ध में जॉच नहीं करने के आधार पर अपीलाधीन आदेश व नामा0 आदेश को विधि सम्मत नहीं माना तथा रेस्पोडेन्ट की प्रथम अपील को स्वीकार करते हुए उक्त दोनों आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः तहसीलदार पोकरण को विधिसम्मत कार्यवाही करने के आदेश प्रदान किये गये है जो विधि अनुकूल होने से बहाल रखा जावे एवं अपीलान्ट की अपील अस्वीकार की जावें।

हमने पक्षकारान के अधिवक्ता के द्वारा की गई बहस को सुना गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससें यह पाया गया कि अपीलान्ट की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को तहसीलदार पोकरण द्वारा विधिवत दर्ज किये बिना व साक्ष्य रिकार्ड पर लिये बिना ही तथा रेस्पोडेन्ट संख्या एक जो कानसिंह की जायन्दा पुत्री होना पाया गया है, को बिना नोटिस दिये व सुनवाई का अवसर दिये ही अपीलान्ट के पक्ष में वादग्रस्त भूमि के उल्लेखित वसीयत अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने आदेश पारित किया गया है जिसे विधि अनुकूल नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि मृतक खातेदार के एकमात्र जायन्दा वारिस रेस्पो0 संख्या एक उनकी पुत्री है जिनको उनके पिता की भूमि में से प्राप्त होने वाले हक–अधिकारों को वंचित नहीं किया जा सकता है, जो प्राकृतिक एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत मृतक खातेदार के प्रथम श्रेणी के वारिसानों को विरासत के नामा0 कार्यवाही में विधिवत रूप से सुनवाई का नोटिस एवं अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा प्रथम अपील विचारण के दौरान मृतक कानसिंह की पुत्री रेस्पो0 संख्या एक के होने बाबत शपथपत्र लिये गये जिससे भी उसकी पुष्टि होना प्रकट है। अपीलान्ट के द्वारा मात्र प्रथम अपीलीय न्यायालय को तहसीलदार, पोकरण द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होना इंगित किया है, इस प्रकार की तकनीकी त्रुटि के आधार पर जिला कलेक्टर जैसलमेर द्वारा पारित आदेश को विधि के विपरित नहीं ठहरा सकते है। इस प्रकार उल्लेखित समस्त तथ्यों पर विवेचन करने के उपरान्त हम प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय से पूर्णतः सन्तुष्ट है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त अपीलान्ट की अपील अस्वीकार की जाती है तथा जिला कलेक्टर, जैसलमेर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.11.2017 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 27 मई, 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर